गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.06.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.06.2022 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
4.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
5.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
6.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
7.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
8.	डॉ0 एस.के. प्रजापति	सदस्य
9.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
10.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 पी.के. बाजपेयी
2. प्रो0 एस.एस. सिंह
3. प्रो0 एल.व्ही.के.एस. भास्कर
4. प्रो0 बी.एन. तिवारी
5. प्रो0 डी.एन. सिंह
6. प्रो0 टी.व्ही. अर्जुनन
7. डॉ0 आर.के. चौबे

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.05.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.05.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 24.05.2022 को आयोजित बैठक में प्रो0 ए.एस. रणदिवे का नाम उपस्थित सदस्यों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि वे उक्त बैठक में अनुपस्थित रहे, अतः टंकण त्रुटी मानते हुए प्रो0 ए.एस. रणदिवे का नाम अनुपस्थित सदस्य के रूप में अंकित किया जाय।

विषय क्र. 02 मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इण्डिया में शामिल होने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

10/06/2022

10/06/22

विषय क्र. 03 **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के प्रस्तावित Vision एवं Mission पर विचार।**

विचारोपरान्त विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को आई.क्यू.ए.सी. के समक्ष संस्तुती हेतु प्रेषित की जाय।

विषय क्र. 04 **छात्रावास सुरक्षा निधि शुल्क वापसी एवं आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि के संबंध में विचार करना।**

विचारोपरान्त विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि छात्रावास सुरक्षा निधि एवं मेस सुरक्षा निधि वापसी के लिए छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किये गये आवेदनों को मान्य करते हुए शुल्क वापसी की कार्यवाही की जाय। साथ ही जिन आवेदकों से छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष के भीतर आवेदन प्राप्त नहीं होते है, उन विद्यार्थियों की सुरक्षा निधि को "विद्यार्थी सहायता कोष" में दान दिया गया मान लिया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि इससे संबंधित राजपत्र में प्रकाशित प्रावधानों को अधिसूचना के रूप में जारी किया जाय। साथ ही अधिसूचना की प्रति छात्रावास उपलब्ध कराने संबंधी आवेदकों के आवेदन प्रारूप में सम्मिलित किया जाय।

यह और भी निर्णय लिया गया कि इस अधिसूचना के अधिक प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक छात्रावास के सूचना फलक पर तथा विभिन्न शैक्षणिक विभागों के सूचना फलक पर चस्पा किया जाय, ताकि छात्र/छात्राओं को इस नियम की जानकारी प्राप्त हो सके।

विषय क्र. 05 **बायोमेडिकल रिसर्च के लिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (बायोटेक्नालॉजी विभाग) और ए.आई.आई.एम.एस., रायपुर (छ.ग.) तथा एस.एस.एम.सी., रीवा (म.प्र.) के बीच समझौता ज्ञापन के अनुमोदन पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बायोमेडिकल रिसर्च के लिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (बायोटेक्नालॉजी विभाग) और ए.आई.आई.एम.एस., रायपुर (छ.ग.) के मध्य एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (बायोटेक्नालॉजी विभाग) तथा एस.एस.एम.सी., रीवा (म.प्र.) के बीच समझौता ज्ञापन को अनुमोदित किया जाय।

विषय क्र. 06 **मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।**

विचारोपरान्त विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित बजट में आवश्यक संशोधन कर, संशोधित बजट विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 07 **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए विकलांगता और पुनर्वास अध्ययन विभाग की स्थापना के लिए मसौदा प्रस्ताव पर विचार करना।**

विचारोपरान्त विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में विकलांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी मसौदा प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय।

10/06/2022 10/06/22

स्थायी समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र प्रेषित करना है एवं उसकी प्रति शिक्षा मंत्रालय एवं भारतीय पनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) को प्रेषित किया जाय।

विषय क्र. 08 विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/एजेंसियों के साथ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित विभिन्न समझौता ज्ञापनों/सहयोग की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया/दिशानिर्देश।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/एजेंसियों के साथ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित विभिन्न समझौता ज्ञापनों/सहयोग की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया/दिशानिर्देश को अनुमोदित किया जाय।

विषय क्र. 09 अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विद्यापीठ की बैठक दिनांक 09.06.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विद्यापीठ की बैठक दिनांक 09.06.2022 के कार्यवृत्त को सिद्धान्तः अनुमोदित किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित विभागों में सत्र 2022–23 हेतु AICTE द्वारा स्वीकृत AICTE Doctoral Fellowship के 08 सीटों के आबंटन, शोध निर्देशकों की उपलब्धता एवं भारत सरकार के आरक्षण नियमों के अनुरूप रोस्टर (सीटों का आरक्षण) में किसी भी प्रकार की असमानता न हो।

यह भी निर्णय लिया गया कि सीटों के आबंटन एवं शोध निर्देशकों की उपलब्धता आदि में किसी भी प्रकार की असमानता/मतभेद होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु कुलपति/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाय।

विषय क्र. 10 अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विद्यापीठ की बैठक दिनांक 07.06.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विद्यापीठ की बैठक दिनांक 07.06.2022 के कार्यवृत्त को ध्यान में रखते हुए प्रचलित पीएच.डी. विनियम का पुर्नपरीक्षण किया जाय तथा आवश्यक संशोधन उपरान्त संशोधित विनियम आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त पीएच.डी. विनियम में संशोधन हेतु, प्रकरण अधिष्ठाताओं की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 11 विधि पाठ्यक्रम में सीटों की वृद्धि के संबंध में।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि BCI के मूल संस्तुति पत्र में B.A. LLB एवं B.Com. LLB क्रमशः 120–120 सीटों का अनुमोदन सत्र 2013–14 से प्राप्त है। अतः सत्र 2022–23 से 120–120 सीटों में प्रवेश दिया जाय तथा BCI उनके पत्र दिनांक 13.05. 2022 के संदर्भ में सूचना/अनुमति से संबंधित पत्र प्रेषित किया जाय।

10/06/2022 10/06/22

विषय क्र. 12 Request to provide proposals for Seat/Intake enhancement for the session 2022-2023.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक आहूत कर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में संस्तुती प्राप्त कर ली जाय तथा उक्त संस्तुती को विद्यापरिषद की स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

10/06/2022 — 10/06/2022

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव — **कुलपति/अध्यक्ष**